लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
023/2023 (GCMS 2023/83)	10.03.2023	21.03.2023

अनवान

राजेन्द्र सुखवाल निवासी बूंदी रोड़, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9214430200)

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
024/2023 (GCMS 2023/84)	10.03.2023	21.03.2023

अनवान

राजेन्द्र सुखवाल निवासी बूंदी रोड़, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9214430200)

अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
025/2023 (GCMS 2023/85)	10.03.2023	21.03.2023

अनवान

राजेन्द्र सुखवाल निवासी बूंदी रोड़, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9214430200)

अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 25.01.2023 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदनों के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में संबंधित लोक सूचना अधिकारियों से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रथम अपीले पृथक–पृथक इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को न्यायालय हाजा के पृथक–पृथक दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र से संबंधित लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारीगण को अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

हमने पत्रावलियों का आद्योपांत अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त तीनों अपीलों में अपीलार्थी द्वारा एक ही विषय–वस्तु एवं एक ही प्रकार की सूचना चाहने हेतु अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी को पृथक–पृथक आवेदन दिनांक 25.01.2023 प्रस्तुत किया गया एवं उक्त आवेदनों के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में संबंधित लोक सूचना अधिकारियों से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रथम अपीले पृथक–पृथक इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के आवेदन पत्रों दिनांक 25.01.2023 से अपीलाथी द्वारा एक ही विषय–वस्तु एवं एक ही प्रकार की सूचना के संबंध में प्रस्तुत पृथक–पृथक अपील को क्लब किया जाकर एक साथ सुनवाई हेतु रखा गया एवं उक्त तीनों अपीलों में एक ही निर्णय पारित किया गया।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से पत्रांक एडीएम/पीए/लोसूअ /2023/31 दिनांक 16.03.2023 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपील सुनवाई दिनांक 14.03.2023 को अपीलार्थी स्वयं हाजिर आये एवं अवगत कराया गया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/31 दिनांक 16.03.2023 से टिप्पणी/कमेंट्स प्रेषित किये जो निम्नानुसार है :–

1. यह कि प्रार्थी श्री राजेन्द्र सुखवाल, निवासी बून्दीरोड़, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 25.01.2023, जो इस कार्यालय में दिनांक 01.02.2023 को प्राप्त हुआ हैं।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना कुल पृष्ठ 632 (छः सौ बत्तीस) के प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/राजस्व/12–12( )23/228 दिनांक 15.02.2023 से प्राप्त हुई।
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना उक्तानुसार प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से दिनांक 15.02.2023 से प्राप्त होने पर प्रार्थी को उसके मोबाईल नंबर 9214430200 पर इस कार्यालय के दूरभाष नंबर (01472–240944) से सूचना दी गई कि आप द्वारा वांछित सूचना निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क 1264/–(अक्षरे बारह सौ चौसठ) रूपये जमा करवा कर प्राप्त कर लेंवे। इस पर प्रार्थी स्वयं कार्यालय में उपस्थित हुआ एवं सूचना दस्ती का अवलोकन कर प्रतिलिपि शुल्क जमा कराने में आनाकानी करता हुआ पुनः कार्यालय से चला गया।
4. यह कि प्रार्थी द्वारा सूचना व्यक्तिशः नहीं लिये जाने की स्थिति में इस कार्यालय के पत्रांक/ एडीएम/ पीए/ लोसूअ/2023/23 दिनांक 16.02.2023 से प्रार्थी को सूचना का प्रतिलिपि शुल्क जमा कराने हेतु लिखा गया, जो आदिनांक जमा नहीं करवाई गई हैं, बल्कि दिनांक 02.03.2023 को श्रीमान् को प्रथम अपील प्रस्तुत कर दी गई है।
5. यह कि प्रार्थी द्वारा निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क जमा कराने के उपरान्त ही आवेदन से वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जा सकती हैं। प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को अवगत कराये जाने के उपरान्त इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती हैं, जिससे अपील अपीलार्थी खारिज योग्य हैं।
6. अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि अपील प्रकरण पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त कराने का श्रम करावें।

इसके साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/लोसूअ/विविध/2023/64 दिनांक 17.03.2023 से टिप्पणी/कमेट्स प्राप्त हुये है जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यालय सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रांक/लोसूअ/परिवाद/विविध/2023/34 दिनांक 06.02.2023 से सूचित किया है कि आवेदन पत्र में प्रकरण संख्या दर्ज दिनांक एवं निर्णय दिनांक तथा अपेक्षित सूचना कार्यालय हाजा के किस अनुभाग से संबंधित हैं का स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है। प्रकरण संख्या दर्ज दिनांक एवं निर्णय दिनांक तथा कार्यालय हाजा के किस अनुभाग से संबंधित है के स्पष्ट अंकन के अभाव में सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। उक्त पत्र की छाया प्रति शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से अपील मेमों के संदर्भ में किसी भी प्रकार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त नहीं है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। हस्तगत अपीलों में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों को पृथक–पृथक आवेदन पत्र दिनांक 25.01.2023 प्रस्तुत कर एक ही सूचना चाही गई है। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रभारी अधिकारी राजस्व जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/राजस्व/12–12( )23/228 दिनांक 15.02.2023 से प्राप्त की गई एवं अपीलार्थी को वांछित सूचना हेतु नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क जमा कराये जाने हेतु सूचित किया गया हैं, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से प्रमाणित हैं। इसके साथ ही यह तथ्य भी स्वीकार योग्य हैं कि उक्त प्रकरण अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व के पास उपलब्ध है।

हमने पत्रावली का गहनता पूर्ववक अवलोकन किया। हाजिर अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का चिंतन–मनन किया। हमने सूचना का अधिकर अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल हैं, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है। हस्तगत प्रकरणों में अपीलार्थी द्वारा अलग–अलग लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सूचना अधिकारी के पास पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत किये गये जबकि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ के पास उपलब्ध है जिसे लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा निर्धारित समयावधि में प्राप्त की जाकर अपीलार्थी को नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क जमा कराये जाने हेतु सूचित किया गया है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से प्रमाणित है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को वांछित सूचना अधिनियम 2005 द्वारा प्रावधित समयावधि में लोक सूचना अधिकारी उपलब्ध कराई गई है जिसे अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार देय शुल्क जमा करा प्राप्त कर सकता है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त तीनों अपील सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत तीनों प्रथम अपीले अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन दिनांक 25.01.2023 बाबत् सारहीन होने से खारीज की जाती है एवं अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क जमा करा वांछित सूचना प्राप्त करें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के साथ प्रभारी अधिकारी राजस्व जिला कार्यालय एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। मूल निर्णय प्रकरण संख्या 023/2023 में शामिल पत्रावली करे एवं प्रमाणित प्रतिलिपि प्रकरण संख्या 024/2023 एवं 025/2023 में रखी जावें। तद्नुसार पत्रावलियों की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>**21.03.2023**</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official